न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 12/191

1. बहादुर आत्मज उदयलाल जाति लश्करी ।
2. विजय आत्मज लालचन्द जाति लश्करी ।
3. रोहित पुत्र लालचन्द जाति लश्करी ।
4. राखी पुत्री लालचन्द जाति लश्करी ।
5. सरस्वती बेवा लालचन्द जाति लश्करी निवासीगण ग्राम मोतीकुआ तहसील दीगोद जिला कोटा।

——अपीलान्ट

बनाम

1. भंवर लाल वल्द नाथूलाल
2. मोती लाल वल्द नाथू लाल ।
3. गोपीलाल वल्द नाथूलाल ।
4. रामप्रसाद वल्द नाथूलाल जाति लश्करी निवासीगण ग्राम मोतीकुआ तहसील दीगोद जिला कोटा ।
5. राजेन्द्र पुत्र जगदीश (माता मदनबाई)
6. सुनील पुत्र जगदीश (माता मदनबाई)
7. पूजा पुत्री जगदीश (माता मदनबाई)
8. अनिता पुत्री जगदीश (माता मदनबाई) जाति सभी लश्करी निवासी महादेव जी के चबूतरे के पास कालपुरिया नयापुरा, कोटा ।
9. मूली बाई पुत्री नाथूलाल पत्नी बाबूलाल वर्मा निवासी महावीर नगर तृतीय आई.एल. कॉलोनी के पास, कोटा ।
10. कंचन बाई पुत्री नाथू लाल पत्नी बनवारी लाल जाति लश्करी निवासी किशनपुरा तकिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
11. कौशल्या बाई पुत्री नाथू लाल पत्नी राजेश जाति लश्करी निवासी ग्राम चैताऊ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
12. भैरूलाल वल्द केसरी लाल जाति लश्करी ।
13. परमानन्द पुत्र केसरी लाल जाति लश्करी ।
14. भवानी शंकर पुत्र केसरी लाल जाति लश्करी ।
15. चेतन कुमार पुत्र स्व0 केसरी लाल जाति लश्करी निवासीगण ग्राम मोतीकुआ तहसील दीगोद जिला कोटा ।
16. नगेन्द्र बाला पुत्री केसरी लाल पत्नी राजेश कुमार लश्करी निवासी अनन्तपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
17. गोपाली बाई पुत्री केसरी लाल पत्नी बाबूलाल जाति लश्करी निवासी किशनपुरा तकिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
18. रघुनाथी बेवा स्व0 केसरी लाल जाति लश्करी निवासी ग्राम मोतीकुआ तहसील दीगोद जिला कोटा
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा ।

——रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 12/272

1. भंवर लाल वल्द नाथूलाल
2. मोती लाल वल्द नाथू लाल ।
3. रामप्रसाद वल्द नाथूलाल जाति लश्करी निवासीगण ग्राम मोतीकुआ तहसील दीगोद जिला कोटा
4. भैरूलाल वल्द केसरी लाल जाति लश्करी ।
5. परमानन्द पुत्र केसरी लाल जाति लश्करी ।
6. भवानी शंकर पुत्र केसरी लाल जाति लश्करी ।
7. चेतन कुमार पुत्र स्व0 केसरी लाल जाति लश्करी निवासीगण ग्राम मोतीकुआ तहसील दीगोद जिला कोटा ।
8. गोपाली बाई पुत्री केसरी लाल पत्नी बाबूलाल जाति लश्करी निवासी किशनपुरा तकिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
9. रघुनाथी बेवा स्व0 केसरी लाल जाति लश्करी निवासी ग्राम मोतीकुआ तहसील दीगोद जिला कोटा

----अपीलान्ट

बनाम

1. बहादुर आत्मज उदयलाल जाति लश्करी ।
2. विजय आत्मज लालचन्द जाति लश्करी ।
3. रोहित पुत्र लालचन्द जाति लश्करी ।
4. राखी पुत्री लालचन्द जाति लश्करी ।
5. सरस्वती बेवा लालचन्द जाति लश्करी निवासीगण ग्राम मोतीकुआ तहसील दीगोद जिला कोटा। अनिता पुत्री जगदीश (माता मदनबाई) जाति सभी लश्करी निवासी महादेव जी के चबूतरे के पास कालपुरिया नयापुरा, कोटा ।
6. गोपी लाल आत्मज नाथू लाल जाति लश्करी निवीस ग्राम मोतीकुआ तहसील दीगोद जिला कोटा ।
7. राजेन्द्र पुत्र जगदीश (माता मदनबाई)
8. सुनील पुत्र जगदीश (माता मदनबाई)
9. पूजा पुत्री जगदीश (माता मदनबाई)
10. अनिता पुत्री जगदीश (माता मदनबाई) जाति सभी लश्करी निवासी महादेव जी के चबूतरे के पास कालपुरिया नयापुरा, कोटा ।
11. मूली बाई पुत्री नाथूलाल पत्नी बाबूलाल वर्मा निवासी महावीर नगर तृतीय आई.एल. कॉलोनी के पास, कोटा ।
12. कंचन बाई पुत्री नाथू लाल पत्नी बनवारी लाल जाति लश्करी निवासी किशनपुरा तकिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
13. कौशल्या बाई पुत्री नाथू लाल पत्नी राजेश जाति लश्करी निवासी ग्राम चैताऊ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री हेमन्त कृष्ण विजयवर्गीय, अभिभाषक, अपील संख्या 12/191 में अपीलान्ट की ओर से एवं अपील संख्या 12/272 में रेस्पोडेन्ट की ओर से ।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से अपील संख्या 12/191 में एवं अपील संख्या 12/272 में अपीलान्ट की ओर से ।

दिनांक: 28.02.2019

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.04.2012 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. उक्त दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने तथा एक ही अपीलाधीन निर्णय की होने से तथा एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र संख्या 75/11 बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा एवं एक अन्य प्रार्थना पत्र संख्या 93/11 बाबत् रिसीवर नियुक्त किये जाने बाबत् पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मोतीकुआ तहसील दीगोद में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के शामलाती खाते में व कब्जे काश्त में कुल 12 किता की 6.81 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि में प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा निहित है तथा अप्रार्थी कम 1 से 15 का 2/3 निहित है । इसी प्रकार ग्राम कचनावदा हाल ग्राम ककरावदा तहसील दीगोद जिला कोटा में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के शामलाती कब्जे काश्त में कुल 05 किता की 3.73 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा तथा अप्रार्थीगण कम 1 से 15 का 2/3 हिस्सा निहित है । उक्त भूमियॉ प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण कम 1 से 15 के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है जिसमें प्रार्थी कम 1 का 2/9 हिस्सा प्रार्थी कम 2 से 5 का 1/9 हिस्सा अप्रार्थी कम 1 से 8 का 1/3 हिस्सा अप्रार्थी कम 09 से 15 का 1/3 हिस्सा निहित है । प्रार्थीगण उक्त दोनों गॉवों की भूमियों में अपने 1/3 हिस्से की भूमि पर काबिज होकर बहैसियत खातेदार काश्त करते चले आ रहे है । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । अप्रार्थीगण प्रार्थी के 1/3 हिस्से की भूमि को काश्त करने में व्यवधान पैदा कर रहे हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । प्रार्थीगण का प्रथमदृष्टया प्रकरण उनके पक्ष में है । अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह प्रार्थी के 1/3 हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे ।

4. प्रार्थना पत्र संख्या 93/11 में प्रार्थी ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण को काश्त करना असंभव हो गया है । उक्त वादग्रस्त आराजी इनमिडियो हो गई है । वादग्रस्त आराजी पर तहसीलदार को रिसीवर नियुक्त करने का निवेदन किया ।

5. अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम पेश कर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा एवं रिसीवर नियुक्त करने दोनों खारिज करने का निवेदन किया एवं काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों को समेकित करते हुए अपने निर्णय दिनांक 16.04.2012 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज कर अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उभय पक्ष को वादग्रस्त आराजी को किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द, रहन, बेचान, अन्तरण नहीं करने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करते हुए प्रतिवादीगण को नगद प्रतिभूति राशि जमा कराने की शर्त पर कब्जा बनाये रखने की अनुमति प्रदान की ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.04.2012 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने अलग–अलग अपीलें पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.04.2012 निरस्त करने का निवेदन किया ।

8. दोनों अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपील संख्या 12/272 में अपीलान्ट एवं अपील संख्या 12/191 में रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के बाबत् नियुक्त किये जाने रिसीवर एवं अप्रार्थीगण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत काउन्टर प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द, रहन, बेचान, अन्तरण एवं अन्य किसी प्रकार से भारयुक्त नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण अपीलान्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने में त्रुटि की है । साथ ही 750/– रूपये प्रति बीघा प्रतिवर्ष के हिसाब से नगद प्रतिभूति राशि के भी आदेश पारित किये हैं । वादग्रस्त आराजी मूल खातेदार कंवर लाल के खाते एवं कब्जे की थी । कंवर लाल के वारिस उदयलाल, केसरी लाल, नाथूलाल एवं विधवा पत्नी नर्वदा थी । उन सभी का स्वर्गवास हो चुका है । नाथू के वारिस प्रतिवादी कम 1 लगायत 8 हैं केसरी लाल के वारिसान प्रतिवादीगण कम 09 लगायत 15 हैं तथा उदयलाल के वारिसान वादीगण हैं । राज्य सरकार के द्वारा खातेदार कंवर लाल के खिलाफ सीलिंग कार्यवाही की गई इसमे सन् 1976 में निर्णय पारित किया गया है जिसमें केसरीलाल, उदयलाल, नाथूलाल व नर्बदा बाई के हिस्से की पृथक – पृथक भूमियॉ मानी गई और शेष आराजी को सीलिंग सरप्लस घोषित किया गया । नाथू लाल व नर्बदा के द्वारा धारण की जाने वली भूमि सीलिंग सीमा के कम पायी गई थी तथा उनके विरूद्ध सीलिंग कार्यवाही ड्रोप फरमाई गई थी । केसरी लाल जी की 2.87 एकड भूमि तथा उदयलाल की 15.93 एकड भूमि अधिग्रहण योग्य मानी गई

थी । केसरी लाल ने 2.87 एकड भूमि अपने पिता कंवरलाल जी के खाते की भूमि ग्राम कचनावदा ऑप्शन में दी जो अधिग्रहण कर ली गई थी । इसी प्रकार उदयलाल जी ने अपने पिता कंवर लाल जी के खाते की 89 बीघा भूमि में से खसरा नम्बर 342 की 09 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 257 की 02 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 353 की 16 बीघा 05 बिस्वा कुल 27 बीघा 08 बिस्वा भूमि सीलिंग में अधिग्रहण में दी जो नामान्तरकरण संख्या 262 दिनांक 30.04.76 से कम होकर सिवायचक दर्ज की गई थी । इसके अलावा तीनों भाइयों की शामलाती खाते की 37 बीघा 02 बिस्वा भूमि में से उदयलाल ने अपने हिस्से की भूमि में से खसरा नम्बर 54 की 12 बीघा 04 बिस्वा भूमि सीलिंग अधिग्रहण में दी गई जो सिवायचक दर्ज कर दी गई । उदयलाल ने शामलाती खाते की भूमि में से अपने 1/3 हिस्से से अधिक की भूमि सीलिंग में दे दी । शामलाती खाते की भूमि में उदयलाल जी का कोई हिस्सा शेष नहीं रहा । कंवर लाल जी के खाते में 89 बीघा भूमि थी जिसमें केसरीलाल, उदयलाल एवं नाथूलाल जी प्रत्येक का 1/3 – 1/3 हिस्सा था जो 29 बीघा 06 बिस्वा का बनता था । उदयलाल ने अपने हिस्से से 10 बीघा 11 बिस्वा भूमि 39 बीघा 17 बिस्वा भूमि सीलिंग अधिग्रहण में दे दी । कंवर लाल जी के खाते की भूमि में उदयलाल का कोई हिस्सा शेष नहीं रहा है । गलत रूप से उनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने नगद प्रतिभूति राशि का आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है । वादग्रस्त आराजी इनमिडियो नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.04.2012 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1995 पेज 640, आरबीजे (5) 1998 पेज 519, आरआरटी 2011 पेज 84, 2017 (1) आरआरटी पेज 234, आरबीजे 2000 पेज 430, 2001 आरआरटी पेज 820 उद्धरत की ।

10. 12/191 में अपीलान्ट की ओर से एवं अपील संख्या 12/272 में रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त खाते की है आज भी संयुक्त खाते में दर्ज है और वादी का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी का 2/3 हिस्सा है । 1/3 हिस्से पर अपीलान्ट वादीगण का कब्जा है । अधीनस्थ न्यायालय ने नगद प्रतिभूति के माध्यम से वादीगण को बेदखल करने का आदेश पारित किया है जो विधि –विरूद्ध है । रिसीवर नियुक्त करना कठोरतम व्याधि है और काबिज व्यक्ति जो सहखातेदार दर्ज है उसको बेदखल कर रिसीवर नियुक्त किया जाना अथवा नगद प्रतिभूति का आदेश पारित किया जाना विधि–विरूद्ध है । राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट वादीगण का नाम दर्ज है । रेस्पोडेन्ट यह कथन करते हैं कि सीलिंग में अपीलान्ट की जमीन गई है जबकि इसके समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.04.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा का वादीगण बहादुर एवं अन्य ने प्रस्तुत कर उनके 1/3 हिस्से में प्रतिवादीगण को मदाखलत व मजाहमत नहीं करने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया । इसमें अप्रार्थीगण ने काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश किया । एक अन्य प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी पर रिसीवर कायम करने के लिए प्रार्थना की । अधीनस्थ [illegible]

संलग्न फोटो प्रति नकल [illegible]

खाता संख्या 104 की कुल 12 किता की 6.81 हैक्टर भूमि पक्षकारान के संयुक्त खाते में दर्ज है जिसमें वादीगण का 1/3 हिस्सा दर्ज है । फोटो प्रति नकल जामबन्दी संवत् 2066 से 2069 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम ककरावदा की कुल 05 किता की 3.73 हैक्टर भूमि में वादीगण का 1/3 हिस्सा दर्ज है । नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2066 से 2069 की फोटो प्रति पत्रावली पर संलग्न है और आदेश दिनांक 24.02.1976 प्राधिकृत अधिकारी सीलिंग के निर्णय की प्रति संलग्न है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2023 से 2026 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम कचनावदा की कुल 10 किता की 89 बीघा भूमि कंवर लाल पुत्र कन्हैया लाल के खाते में दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2029 से 2032 संलग्न है जिसके अनुसार नाथूलाल, केसरीलाल, उदयलाल पुत्र कंवर लाल के खाते में कुल 02 किता की 37 बीघा 02 बिस्वा भूमि दर्ज है । इसके अलावा उपखण्ड अधिकारी, दीगोद के न्यायालय की आदेशिका की फोटो प्रतियॉ भी संलग्न हैं ।

12. प्रार्थी वादी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् नियुक्त किये जाने रिसीवर भी अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसमें यह कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में उनका 1/3 हिस्सा है, प्रतिवादीगण ताकतवर है वो प्रार्थीगण को काश्त करने में व्यवधान पैदा कर रहा है, भूमियॉ इन मिडियो हो गई हैं । प्रार्थीगण अपने अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ है आराजी का विभाजन भी नहीं हुआ । अतः तहसीलदार, दीगोद को वादग्रस्त आराजी पर रिसीवर नियुक्त किया जावे। प्रार्थीगण भंवर लाल एवं अन्य ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र में जवाब मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया था और यह कथन किया था कि वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है और न ही कोई अधिकार है । सीलिंग की कार्यवाही में उदयलाल अपने 1/3 हिस्से से अधिक भूमि सीलिंग में दे चुके थे । कंवर लाल की आराजी में उदयलाल का कोई हिस्सा नहीं बनता है । इस कारण प्रथमदृष्टया प्रकरण उनके पक्ष में नहीं वरन् अप्रार्थीगण के पक्ष में है । अतः अप्रार्थीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर प्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे, वादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान एवं खुर्द–बुर्द नहीं करे ।

13. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण बाबत् अस्थायी खारिज किया है । काउन्टर क्लेम अप्रार्थीगण का अशंतः स्वीकार किया है । प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द रहन, बेचान एवं भारयुक्त नहीं करने हेतु पाबन्द किया है और साथ ही अप्रार्थीगण को 750/– रूपये प्रति बीघा प्रति फसल नकद प्रतिभूति राशि तहसील कार्यालय में जमा कराने पर काश्त बनाये रखने का आदेश दिया है ।

14. प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अपील में मुख्य आपत्ति यह उठायी है कि वादग्रस्त आराजी जो संयुक्त खाते में दर्ज है उसमें नगद प्रतिभूति के आधार पर रेस्पोडेन्ट अप्रार्थीगण को कब्जा दे दिया गया है । अधीनस्थ न्यायालय को अपीलान्टगण के कब्जे को सुरक्षित रखते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जानी चाहिए थी । इसके विपरीत विकल्प में अपीलान्ट ने यह भी निवेदन किया है कि वर्तमान में मुनाफा काश्त की राशि 9000/– रूपये है । इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है । रेस्पोडेन्ट का कब्जा मानने में भूल की है । अपीलान्ट प्रार्थीगण ने जो प्रार्थना पत्र बाबत् नियुक्त किये जाने रिसीवर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया है उसमें आराजी को इनमिडियो बताते हुए अपने अधिकारों की रक्षा के लिए रिसीवर नियुक्त

करने की प्रार्थना की है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने नगद प्रतिभूति राशि पर अप्रार्थी प्रतिवादीगण को कब्जा बनाये रखने का जो आदेश दिया है जिसमें कोई त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । वादग्रस्त आराजी संयुक्त खाते की है जिसमें वादी और प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार दर्ज हैं । अपीलान्ट अप्रार्थीगण की मुख्य आपत्ति यह है कि सीलिंग के प्रकरण में 1976 में जो निर्णय हुआ है उसमें उदय लाल ने अपने 1/3 हिस्से से अधिक आराजी सरेण्डर कर दी थी । इस कारण वादग्रस्त आराजी में उनका कोई हित–निहित नहीं है । सीलिंग की कार्यवाही एवं उसमें हुए निर्णय से पक्षकारान के अधिकार एवं स्वत्व पर क्या प्रभाव पडेगा यह मूल दावे में साक्ष्य के आधार पर तय होगा इस स्टेज पर नहीं । इस स्टेज पर वादग्रस्त आराजी संयुक्त खाते में दर्ज । अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान को वादग्रस्त आराजी का रहन, बेचान नहीं करने हेतु जो आदेश पारित किया है वह विधि–सम्मत है ।

15. इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 12/191 एवं अपील संख्या 12/272 दोनों खारिज की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.04.2012 बहाल रखा जाता है ।

17. निर्णय आज दिनांक 28.02.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/2/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा